दिनाक 01.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 01/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 36 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.06.2022 को थाना कंकरखेड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहटा रोड पर रेलवे पुल के आगे चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–हर्ष उर्फ मोगली 2–सन्दीप 3–प्रिन्स को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 03 लाख 36 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28.06.2022 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पर मु0अ0सं0–447/2022 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हर्ष उर्फ मोगली निवासी कृष्णाकुन्ज कालोनी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

2—सन्दीप निवासी कृष्णाकुन्ज कालोनी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

3—प्रिन्स निवासी इन्द्रपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 03 लाख 36 हजार रूपये नगद।

2—03 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4— घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 39 हजार हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल**
- **आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बरामद**

दिनांक 30.06.2022 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वलीपुरा नहर पर चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—फरहान 2—मुजम्मिल 3—इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 39 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल व आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त फरहान, अभियुक्त इमरान, अभियुक्त मुजम्मिल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट गैंगेस्टर एक्ट आदि के विरूद्ध 13—13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—फरहान निवासी दोहरा बाईपास रोड अलीनगर कालोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

2—मुजम्मिल निवासी सराय मियॉ चाबी वाली गली थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।

3—इमरान निवासी साया माल एडीए कालोनी थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 39 हजार रूपये नगद।

2— 02 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार।

5—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

6— आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.06.2022 की रात्रि को थाना सिंघावली अहीर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मीतली से बसोद जाने वाले रास्ते जंगल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अशोक उर्फ बैंगन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, हत्या, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—205/2022 धारा 302/201/34/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अशोक उर्फ बैंगन निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
2– 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली देहात</u>

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–चिंगू उर्फ शिवांस 2–मानस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चिंगू उर्फ शिवांस के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त मानस के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0–63/2022 धारा 307/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चिंगू उर्फ शिवॉग निवासी नाथपुरी कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर व मूल पता–ग्राम रिखौना थाना तालगॉव जनपद सीतापुर।

2–मानस निवासी त्रिवेनी नगर शिवपुरम निकट यमन होटल तिवारी विला थाना अलीगंज, लखनऊ मूल पता–आवास विकास कालोनी ए ब्लाक थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना कोतवाली सम्भल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.06.2022 को थाना कोतवाली सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सम्भल–हसनपुर तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बिलाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली सम्भल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 480/2021 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सम्भल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिलाल निवासी गुडी बाजार तोपची वाडा थाना कोतवाली मेरठ जनपद मेरठ।

जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन**
- **मोटर साइकिल चोरी करने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांकः 30.06.2022 को थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला शादी सवलपुर मोड से 02 शातिर अभियुक्तों 1–टिंकू 2–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन, मोटर साइकिल चोरी करने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद फिरोजाबाद व आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी कर सस्ते दामों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टिंकू निवासी नगल श्रीकृष्ण थाना सकीट जनपद एटा।

2–विकास निवासी जरैला थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

2–मोटर साइकिल चोरी करने के उपकरण।

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसेनही घाट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **102 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 30.06.2022 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोटवा सड़क से अभियुक्त श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 102 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–श्यामलाल निवासी कोटवा सड़क थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–102 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ **जनपद रायबरेली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 11 करोड़ 30 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद रायबरेली पुलिस ने अभियुक्त 1–मो0 फैजान अहमद पुत्र स्व0 मो0 सलमान 2–इमरान पुत्र स्व0 मो0 सलमान निवासीगण चक अहमदपुर नजूल घंटाघर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली आदि द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 11 करोड़ 30 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

➢ **जनपद सीतापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 07 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सीतापुर पुलिस ने अभियुक्त रमन साहनी पुत्र पेशावरीलाल निवासी 18 लक्ष्मी मार्केट थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी

चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 07 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

➢ **<u>जनपद सम्भल (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस ने अभियुक्त साकिर पुत्र जफीर हुसैन उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला तिमरदास सराय थाना नखासा जनपद सम्भल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———